

न्यायालय-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

कमांक/क्यु /द्वि0व्य0न्याया0 /2017
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक:- 07.09.2017

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ0ग0)

विषय:- प्रकरणों की विशेष सूची तैयार किये जाने बाबत।
संदर्भ:- कार्यालयीन पृ0क0 2081/दो-12-1/2004 अम्बिकापुर, (Compliance) दिनांक 05 सितंबर 2017

---0---

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष दस वर्षों से अधिक समय से लंबित व्यवहार वाद की विशेष सूची तैयार की गई, जिन्हें दिन-प्रतिदिन साक्ष्य हेतु नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य न हो जावे। इस विशेष सूची में उल्लेखित प्रकरणों में बाध्यकारी कारणों के अलावा स्थगन दिये बिना विचारण पूर्ण किया जाकर प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जावेगा।

तदनुसार अस्थायी विशेष प्रकरण सूची प्रकरण के त्वरित निराकरण हेतु आपके अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित है।

क्र0	प्रकरण कमांक	पक्षकार का नाम	वादी अधिवक्ता का नाम	प्रतिवादी अधिवक्ता का नाम	संस्थित दिनांक	अगली सुनवाई	वर्तमान स्थिति
1.	34अ/2001	सहदेव राजवाड़े प्रति दया राम वगै0	श्री एस0एन0 पाण्डेय	श्री व्ही0पी0 सिन्हा श्री अशोक पाण्डेय	12.04.2001	21.09.2017	प्रतिवादी साक्ष्य
2.	136अ/2011	मो0 शरीफ प्रति रामसजीवन व अन्य	मो0 आफताब असारि	श्री संतोष गुप्ता	07.12.1995	18.09.2017	प्रतिवादी साक्ष्य

श-


(भूपेश कुमार बसंत)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
अम्बिकापुर, सरगुजा छ0ग0

पृ0क0कमांक/क्यु /द्वि0व्य0न्याया0 /2017

अम्बिकापुर, दिनांक:- 07.09.2017

- प्रतिलिपि:- 1. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, संबंधित अधिवक्ता को सूचित करने तथा आवश्यकता होने पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चरपा किये जाने हेतु।
3. प्रस्तुतकार, काजलिस्ट बोर्ड में चरपा किये जाने हेतु।
4. कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय के वेबसाईट में उलपब्ध करवाये जाने हेतु।

नोट:- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस न्यायालय के समक्ष दस वर्षों से अधिक समय से लंबित व्यवहारवादों की विशेष सूची तैयार की गई है, उक्त प्रकरणों में अंतिम निराकरण तक कोई स्थगन प्रदाय नहीं किया जावेगा और इस सूची के प्रकरणों को दिन-प्रतिदिन उभयपक्ष के साक्ष्य हेतु निरंतर तब तक नियत किया जावेगा, जब तक उभयपक्ष का साक्ष्य पूर्ण हो जावे व प्रकरण अंतिम रूप से सुना जाकर निराकृत किया जावे। सूची में दर्शाये प्रकरणों से संबंधित पक्षकार के अधिवक्तागण यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हों तो दिनांक 11.09.2017 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।



(Signature)

(भूपेश कुमार बसंत)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2
अम्बिकापुर, सरगुजा छ0ग0